तीन हजार करोड़ फंड और छः वर्ष बाद 'वन स्टॉप सेंटर' सरकारी ढकोसला मात्र

निर्भया हम शर्मिंदा नहीं, हम पक्के बेशर्म हैं...

सामाजिक ही नहीं राजनीतिक जागरूकता का भी अभाव

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने के लिए जहाँ एक तरफ सामाजिक क्रांति की जरूरत है वहीं दूसरी ओर राजनैतिक हल्कों में ऐसे प्रतिनिधियों के चुन कर आने की आवश्यकता है जो नारी को भोग-विलास की वस्तु न समझते हों। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो बलात्कार को महिला की मौज मस्ती में कमी से जोड़ते हों या मुलायम सिंह यादव जो लड़कों की जवानी में होने वाली गलती करार देते हों, से किसी प्रकार की सकारात्मक पहल की उम्मीद बेमानी जान पड़ती है।

ये लेख लिखे जाने तक उत्तर प्रदेश में एक 15 वर्षीय लड़की का सामुहिक बलात्कार हो चुका है और एक अन्य 16 वर्षीय लड़की को बीच सड़क चंद बीमार मानसिकता के लड़कों द्वारा ।0 प्रतिशत जिंदा जलाया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 100 तेज खबरों में ये खबरें भी गुजर जाएंगी और 9 बजते ही किसी प्राइम टाइम के शो पर हनुमान की जाति बताने और प्रमाण-पत्र देने का कार्यक्रम शुरू होगा। बतौर जनता हम भी इस तरह के शो पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी का एंटी रोमियो दल जल चुकी बच्ची के चरित्र से जुड़े साक्ष्य जुटाने चल पड़ा होगा कि कैसे उस लड़की को ही चरित्रहीन साबित कर इस मामले को टॉप 100 की खबरों से भी बाहर कर दें।

हमारी टीम जिस निर्भया के नाम से शुरू वन स्टॉप सेंटर में पीड़िता की तस्दीक करने गई वैसी करोड़ों निर्भया हमारे आसपास, हमारे घरों में, कार्य स्थलों में घुट घुट कर सांस ले रही हैं। आवश्यकता है समाज को, प्रशासन को, नीतियों और योजनाओं को एक निर्भया की नजर से देखने और बनाने की। तभी एक सार्थक बदलाव लाया जा सकेगा अन्यथा साल दर साल लाखों निर्भया सड़कों, गलियों और सबसे अधिक घरों में मारी जाती रहेंगी और मोदी सरीखे नेता बेटी बचाओ के कोरे भाषण देकर चलते बनेंगे।

ग्राउंड जीरो से विवेक की पड़ताल

वन स्टॉप सेंटर? "ऐसा तो कुछ नहीं यहाँ, अगर है भी तो मुझे नहीं पता यार", कहना था दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आपातकाल वार्ड के एक युवा चिकित्सक का।

निर्भया काण्ड को बीते 16 दिसम्बर के दिन 6 वर्ष हो गए। साल दर साल अखबारों ने इस खबर को जितना कोने में ठूसा जा सके ठूसा है। इस बार भी मुख्य अखबारों ने निर्भया के माता-पिता की छोटी सी तस्वीर और मोमबत्ती छाप कर अपनी कलम और कैमरा का रुख नए बलात्कार वाली खबर की ओर मोड़ दिया। अखबार के साथ-साथ संसद भी मौन है और मौन है हमारा समाज। बस समाज में बलात्कार धड़ल्ले से बोल रहा।

दिसम्बर 2012 में घटी इस घटना ने देश को झकझोर डाला था और उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने क्रिमिनल लॉ (संशोधित) बिल – 2013 संसद में पास किया। बिल के तहत पुलिस या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मी, कोई भी अस्पताल यदि बलात्कार पीड़िता के सन्दर्भ में कोताही करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मनमोहन सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की राशि के साथ निर्भया फण्ड घोषित किया जो अब बढ़कर 3000 करोड़ हो गया है। इस योजना में 'वन स्टॉप सेंटर' बनाने का प्रावधान रखा गया।

वनस्टॉप सेंटर के तहत बलात्कार पीड़िता को एक ही छत के नीचे पुलिस, मेडिकल, न्यायिक, कंपनसेशन, शेल्टर और काउंसलिंग जैसी जरूरी सुविधाएँ मुहैया कराया जाने का वादा सरकार द्वारा किया गया। 'मज़दूर मोर्चा' टीम ने इन वादों की असलियत जानने का प्रयास दिल्ली और एनसीआर के फ़रीदाबाद, गुरुग्राम स्थित वन स्टॉप सेंटरों के पते पर किया।

वन स्टॉप सेंटर को चलाने वाले स्टाफ का अता-पता नहीं

दरअसल वन स्टॉप सेंटर के नाम पर स्थानीय सरकारी बीके अस्पताल के आपातकालीन विभाग में आने वाली महिलाओं को ही आंकड़ा स्वरूप प्रस्तुत करने की कवायद चलती आ रही थी। तीन माह पहले बीके अस्पताल से निकल कर यह सेंटर सेक्टर 15ए स्थित ओल्ड डीसी ऑफिस में आ गया है जहाँ इस सेंटर के लिए एक भी स्टाफ नवम्बर 2018 तक कार्यरत नहीं था।

एक वर्ष तक ओएससी फरीदाबाद को चलाने वाली मीनू ने बताया कि पहले 13 लोग सेंटर को चलाते थे। परन्तु सबसे बड़ी समस्या थी सेंटर की अपनी बिल्डिंग का न होना। इसी कारण बीके अस्पताल में सेंटर चलता रहा और उसका इतना फायदा तो था कि अस्पताल में घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे आते ही रहते थे तो उसी केस को सेंटर अपने आंकड़े दिखाने में जोड़ लेता था। अब नयी जगह पर आने के बाद से एक भी स्टाफ सरकार द्वारा भर्ती नहीं किया गया और जो एजेंसी पहले सेंटर चला रही थी उससे भी अनुबंध समाप्त हो चुका है। इस प्रकार फिलहाल के लिए ये सेंटर बंद ही समझो।

इसी प्रकार भारत का मशहूर एम्स अस्पताल भी ओएससी के नाम पर बगलें झांकता पाया गया। अवल तो एम्स में किसी को मालूम ही नहीं कि ओएससी क्या बला है। आपातकालीन विभाग में तैनात डाक्टरों तक को इसकी जानकारी नहीं थी। "सखी" नाम से चलाये जाने वाली केंद्र सरकार की इस योजना का एक भी बोर्ड अस्पताल में मौजूद नहीं था।

वार्ड में ड्यूटी करते एक युवा डाक्टर ने बताया कि सखी नामक कार्यक्रम की उनको कोई जानकारी नहीं। परन्तु यदि किसी पीड़िता को पुलिस द्वारा लाया जाता है तो महिला डाक्टर उसकी जांच पहले की तरह करती है। मेडिकल जांच के अतिरिक्त यहाँ अन्य किसी भी तरह की सुविधा दे पाने में हम अक्षम हैं। क्या किसी लीगल एक्सपर्ट या काउन्सलर की सुविधाएँ पीड़िता को मुहैया करायी जाती हैं, इसपर चिकित्सक ने व्यंग्य भरी मुस्कान से 'नहीं' की मोहर लगा दी।

एम्स से निकल कर सामने ही दिल्ली के एक अन्य बड़े अस्पताल सफदरजंग पहुंचे। यहाँ वनस्टॉप सेंटर के नाम पर एक बोर्ड जरूर मिला और एक बड़े कमरे को सेंटर के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। परन्तु सरकार के बनाए प्रावधानों में मेडिकल एग्जामिनेशन जो अस्पताल से ऐसे भी अपेक्षित होता है, को छोड़ अन्य कोई सुविधा बलात्कार पीड़िता को उपलब्ध नहीं करायी जाती।

गुरुग्राम के सेक्टर 6 स्थित सरकारी अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर वन स्टॉप सेंटर का दिखाई देने वाला बोर्ड जरूर लगा है और कहा जा सकता है कि इस मामले में यह दिल्ली के एम्स को मात देता है। पर बोर्ड भर ही है यहाँ, उससे ज्यादा यहाँ भी नहीं मिला। सेंटर के बाहर ड्यूटी पर बैठी महिलाकर्मी ने अपना नाम छिपाते हुए बताया कि कानूनी सुविधा या काउंसलिंग तो दूर, इस अस्पताल में गाइनेकोलोजिस्ट भी नहीं है। हमने सेंटर में बैठी कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयत्न किया परंतु अस्पताल प्रशासन ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी।

सरकारी योजना के तौर पर निर्भया फण्ड के तहत आने वाले वन स्टॉप सेंटर की नोडल संस्था मोदी सरकार का महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय है। बतौर नोडल अधिकारी शिप्रा रॉय का फोन नंबर साइट पर उपलब्ध है परन्तु फोन उठाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं था। इसीलिए सरकारी नाकामी के पक्ष का सरकारी जवाब हासिल न हो सका। सरकार, महिलाओं और बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर कितनी गंभीर हैं इस बात का अंदाजा लगाना तब बहुत आसान है जब आप यह जान जाएं कि इस योजना के लिए जारी फण्ड में से अब तक सिर्फ 16 प्रतिशत फण्ड ही सरकार खर्च कर पायी है।

गृहराज्य मंत्री किरण रिजीजू ने संसद में दिए जवाब में कहा है कि 2014-16 के बीच 1,10,333 बलात्कार की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। गृहराज्यमंत्री ने यह भी बताया है कि जहाँ एक तरफ इस प्रकार के अपराध में वृद्धि हुई है वहीं अपराधी को सजा दिलाने में समस्त भारत के आंकड़ों में गिरावट भी दर्ज की गई है। अकेले यदि हरियाणा की बात करें तो महिला अपराध में 4 प्रतिशत इजाफा हुआ है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर हो हल्ला

परन्तु फास्ट ट्रैक खुद कितना सुस्त पड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 लाख की आबादी पर कुल 14 जज ही उपलब्ध हैं। दिल्ली में दर्ज बीते जनवरी-फ़रवरी माह तक के कुल मामलों में से 20 प्रतिशत केसों की आज तक सुनवाई भी शुरू नहीं हो सकी है। कुछ मामलों में यहाँ तक भी पाया गया कि कई पब्लिक प्रोसीक्यूटर स्वयं भ्रष्ट हैं तथा पुलिस एवं दोषी के साथ मिलकर पीड़िता पर केस वापसी का दबाव बनाते पाए गये हैं।

दिल्ली सरकार की तथाकथित कर्मठ दिल्ली महिला आयोग की युवा अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्कार पर फांसी की सजा के लिए अनशन भी किया था। भाजपा की कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा कानून बना भी दिया और बानगी ऐसी है कि केंद्र ने भी यह कानून बना डाला है। परन्तु बलात्कार और महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वृद्धि ही हुई है क्योंकि असल मर्ज न किसी पार्टी ने देखा और न देखना चाहती हैं।

आंकड़ों के खेल में न उलझ कर इतना भर जानने का प्रयास यदि हम करें कि क्या निर्भया कानून हमारी महिला सुरक्षा की चिंताओं को समाप्त कर सकता है? या जिन जिनको अपने राजनैतिक आकाओं पर अन्धभक्ति है वो अपनी बहनों, माताओं, बेटियों या खुद कोई महिला स्वयं को हर हाल में सुरक्षित महसूस कर पा रही है? क्या सिर्फ राजनैतिक रूप से ऐसी समस्या का समाधान खोज पाना संभव है? तो जवाब बहुत स्पष्ट है- 'नहीं'।

प्रशासनिक तौर पर ही यदि वनस्टॉप सेंटर को जांचें तो इसे चला पाने के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं सरकार अब तक नहीं जुटा पायी है। योजना का फण्ड बढ़ कर 1000 करोड़ से 3000 करोड़ हो गया है परन्तु योजना को पीड़िता के लिए लाभकारी बना सकने में लगने वाले मैनपॉवर को आजतक सरकार ने प्रस्ताव में शामिल ही नहीं किया। जजों, चिकित्सकों, संवेदी पुलिस, काउन्सलर, कंपनसेशन, बिल्डिंग, मोटरकार और मामूली सी विडियो कांफ्रेंसिंग तक की सुविधा एक छत के नीचे पीड़ित महिला को मयस्सर नहीं हुई है। जबकि होना तो यह चाहिए था कि सम्बंधित मजिस्ट्रेट वहीं आकर बयान भी लिखता।

शेल्टर की सुविधा मात्र 5 दिनों के लिए

पांच दिन के बाद पीड़िता कहां जाएगी इसपर कोई पुख्ता प्लान सरकार के नीति निर्माताओं के पास नहीं है। कई मामलों में घर का ही कोई सदस्य लम्बे समय से बलात्कार करता पाया गया है परन्तु पीड़ित महिला को अंत में उसी के पास वापस जाना पड़ता है क्योंकि आर्थिक रूप से अक्षम महिला के पास दूसरा चारा भी क्या है। "कहां तो तय था चरागाँ हर एक घर के लिए, कहां चराग भी मयस्सर नहीं शहर के लिए।"
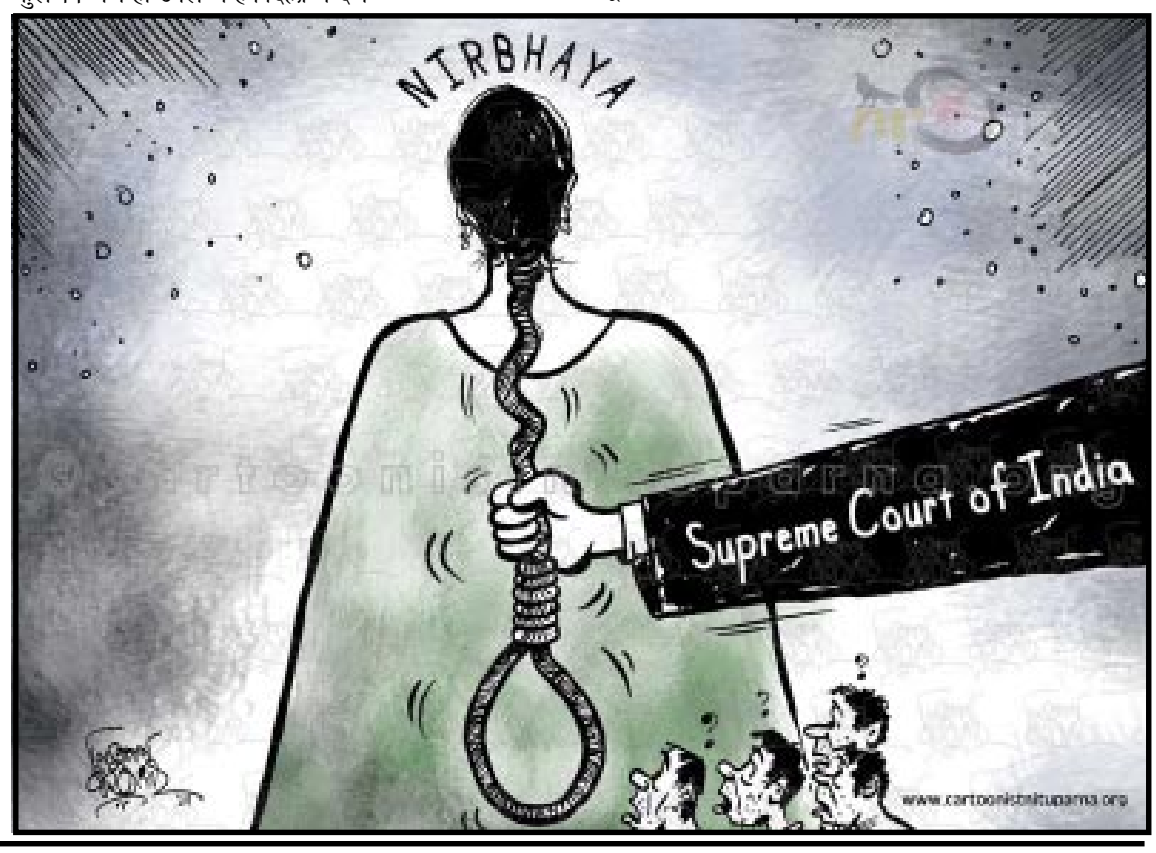
ऐसी विकट स्थितियों को सुलझाने के लिए सरकार के पास मॉडल के रूप में केवल सरकारी खजाने की रकम भर है। विडम्बना है कि यह रकम तक सरकार से खर्च नहीं हो पा रही जिसका एक नमूना यह भी है कि वन स्टॉप सेंटरों की अपनी इमारत तक नहीं बन पायीं हैं। अव्वल तो वन स्टॉप सेंटर अपने आप में एक अधपकी योजना है या यूँ कहें कि अपराध होने के बाद इस योजना की वैधता शुरू होती है; जबकि आवश्यकता है अपराध के कारगर रोकथाम की भी।